भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 6
उत्तर दिनांक 29/01/2026 को दिया गया

शांति अधिनियम के तहत सुरक्षा उपाय

6. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने रणनीतिक परमाणु परिसंपत्तियों और सामग्रियों पर पूर्ण संप्रभु नियंत्रण बरकरार रखते हुए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के उद्देश्य से शांति अधिनियम बनाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमेय सीमा और प्रकृति सहित अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(ग) परमाणु सामग्रियों, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, संरक्षा और रणनीतिक निर्णयन पर सरकार की पूर्ण संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के तहत कौन-कौन से सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग) हां, शांति अधिनियम नाभिकीय ऊर्जा के संवर्धन और विकास तथा नाभिकीय विद्युत उत्पादन से आयनीकरण विकिरण और अन्य गैर-विद्युत अनुप्रयोगों तथा इसके संरक्षित और सुरक्षित उपयोग के लिए अधिनियमित किया गया है। शांति अधिनियम निजी क्षेत्र को भागीदारी करने हेतु केंद्र सरकार से लाइसेंस और नियामक परिषद का सुरक्षा प्राधिकरण प्राप्त कर नाभिकीय सुविधा स्थापित करने अथवा नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग और निपटान के लिए गतिविधियां संचालित करने के लिए अनुमति देता है।

शांति अधिनियम की निजी क्षेत्र से संबंधित मुख्य विशेषताएं यह हैं कि वे नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन में भागीदारी कर सकते हैं; नाभिकीय ईंधन का संविरचन कर सकते हैं; और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य कर सकते हैं। वे आयनीकरण विकिरण का भी गैर-विद्युत अनुप्रयोगों जैसे चिकित्सा, कृषि, औद्योगिक अनुप्रयोगों आदि के लिए उपयोग कर सकते हैं।

जिन संस्थापनाओं को केंद्र सरकार से नाभिकीय सुविधाएं स्थापित करने या नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित गतिविधियां संचालित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है, वे नाभिकीय पदार्थ के निरंतर

मॉनीटरन, लेखांकन और निगरानी, उत्पन्न रेडियोसक्रिय अपशिष्ट के संरक्षित प्रबंधन, विकिरण से हुई क्षति, नाभिकीय घटनाओं के पीड़ितों को नाभिकीय क्षति के लिए शीघ्र मुआवजे के भुगतान, नाभिकीय सुविधा की जीवन-आयु की समाप्ति पर विकमीशनन सहित नाभिकीय सुविधाओं के संरक्षित एवं सुरक्षित प्रचालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

शांति अधिनियम के अंतर्गत कुछ गतिविधियों और सुविधाओं जैसे निर्दिष्ट पदार्थ के संवर्धन और आइसोटोपिक पृथक्करण, भुक्तशेष ईंधन का प्रबंधन, भारी पानी का उत्पादन इत्यादि पर केंद्र सरकार का विशिष्ट एवं अनन्य नियंत्रण का भी प्रावधान है।

*****